

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या-12/2020
उषा कौशिक बनाम सरयूग मोची, विजय पासवान एवं पूनम देवी
शुद्धि पत्र

वाद संख्या 12/2020 (उषा कौशिक बनाम सरयूग मोची, विजय पासवान एवं पूनम देवी) में दिनांक 02.03.2022 को पारित आदेश में पृष्ठ संख्या-06 पर टंकण भूल वश" इसी प्रकार संजीव कुमार का जन्म प्रमाण पत्र श्रीमति पूनम देवी के निर्वाचन वर्ष- 2015 के एक वर्ष बाद 2016 में निर्गत कराया गया है, जोकि After thought प्रतीत होता है, जिससे कि अयोग्यता से बचाव हो सके" अंकित हो गया है, जबकि शुद्ध वाक्य है" इसी प्रकार श्रीमति पूनम देवी के 2020 में निर्वाचित होने के उपरांत पारिवारिक सूची प्रमाण पत्र निर्गत कराया गया है, जोकि After thought प्रतीत होता है, जिससे कि अयोग्यता से बचाव हो"

2. उक्त आदेश में टंकण भूल वश अंकित वाक्य को शुद्ध वाक्य से प्रतिस्थापित किया जाता है। पूर्व का आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाये।

ह0/-

(डॉ० दीपक प्रसाद)

11.03.2022

राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/-

(डॉ० दीपक प्रसाद)

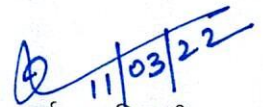
11.03.2022

राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-12/2020 1061

पटना, दिनांक- 11 मार्च, 2022

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 11/03/22

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक- 12/2022 1061

पटना, दिनांक- 11 मार्च, 2022

प्रतिलिपि-जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), पटना /कार्यपालक पदा०, नगर पंचायत नौबतपुर पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

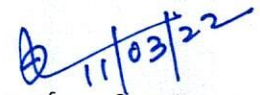
 11/03/22

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-12/2022 1061

पटना, दिनांक- 11 मार्च, 2022

प्रतिलिपि-वादी श्रीमती उषा कौशिक, श्री सरयूग मोची (प्रतिवादी संख्या-01), श्री विजय पासवान (प्रतिवादी संख्या-02) तथा श्रीमती पूनम देवी (प्रतिवादी संख्या-03) नगर पंचायत, नौबतपुर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

 11/03/22

विशेष कार्य पदाधिकारी